

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1797 / 2016 / जोधपुर.

मैसर्स पाण्डा टिम्बर्स, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-II, वृत्त-D, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी. एम. चौपड़ा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 50/आरवैट/जेयूडी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-डी, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत कर निर्धारण 2012-13 के लिये पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 में अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क रुपये 15,050/- के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा मासिक विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 21 सपठित वैट नियम 2006 के नियम 19A के तहत कर निर्धारण के समय विलम्ब शुल्क आरोपण किया गया है जिससे व्यथित होकर अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित विलम्ब शुल्क यथावत रखा गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये विलम्ब शुल्क का आरोपण किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। यह भी कथन किया कि अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19A के तहत फीस का आरोपण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि फीस का जमा कराने का दायित्व करदाता का होता है। अतः निर्धारण अधिकारी को फीस आरोपित किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से आरोपित फीस अपास्त योग्य है।

लगातार.....2

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 23 एवं 24 का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है जिससे यह प्रमाणित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके विवरण पत्रों को स्वीकार किया गया था यदि कर निर्धारण अधिकारी को किसी फीस की लेवी जमा नहीं होने का आधार भी पाया गया था तो कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 26(1) में ही किया जा सकता था।

5. प्रत्यर्थी राजस्व के उप-राजकीय अभिभाषक ने आरोपित विलम्ब शुल्क को विधिसम्मत बताया एवं कथन किया कि अपीलार्थी मासिक करदाता है एवं विवरण पत्रों के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब शुल्क जमा कराये जाने का दायित्व था परन्तु उनके द्वारा विवरण पत्र प्रस्तुत किये गये और विलम्ब शुल्क जमा नहीं कराया गया जिसे कर निर्धारण के दौरान पारित आदेश में विलम्ब शुल्क जमा कराने के आदेश दिये गये हैं जो कि स्वयं अपीलार्थी का दायित्व था।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

7. कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में एवं अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा भी यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अधिनियम की धारा 21 के तहत विवरण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया है। अतः तथ्यात्मक रूप से विलम्ब कारित किये जाने में कोई विवाद नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मूलतः इस बिन्दु पर विवाद किया गया है कि अपीलार्थी को विलम्ब शुल्क आरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी को विलम्ब शुल्क आरोपित करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में यह टिप्पणी की जाती है कि विवरण पत्रों को विलम्ब से प्रस्तुत करने पर उसके साथ शुल्क का भुगतान करने का दायित्व व्यवसायी का ही होता है एवं कर निर्धारण आदेश किये जाने के समय भुगतान नहीं की गई राशियों को आदेश में सम्मिलित करते हुए उन्हें भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। विलम्ब शुल्क किसी तरह की शास्ति नहीं है बल्कि व्यवसायी को यह विशेष सुविधा दी गयी है कि वे नियत समय के बाद भी विवरण पत्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु उसके साथ विलम्ब शुल्क का भुगतान नियम 19A के अनुसार किये जाने का भी दायित्व है। यह भी टिप्पणी करना उचित है कि विवरण पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है एवं विभाग की वेबसाइट पर विलम्ब शुल्क का भुगतान किये बिना

लगातार.....3

भी विवरण पत्रों को अपलोड करने से रोका नहीं जाता है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समय व्यवसायी के सभी दायित्वों (Liability) को निर्धारित किया जाता है जिसमें कम कर या ब्याज या देय विलम्ब शुल्क सम्मिलित हैं। अधिनियम की धारा 2(3) में कर निर्धारण को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

“assessment” means determination of liability under this Act;

इसी तरह धारा 21 का भी मूल पाठ उद्धरित किया जाता है :-

21. Filing of return.-

(1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

8. उक्तानुसार अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रत्येक व्यवसायी को अपने समस्त दायित्वों को अर्थात् देय कर, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क का स्वयं द्वारा निर्धारण (Assess) कर उसका भुगतान कर विवरण पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

9. इस प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 21 के तहत वांछित विवरण पत्र प्रस्तुत करते समय विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था जिसका कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(3) में “कर निर्धारण” की “परिभाषा” अनुसार कर निर्धारण के समय समस्त दायित्वों को निर्धारित किया गया है जिसमें विधि का कोई बिन्दु नहीं है क्योंकि यह केवल व्यवसायी का दायित्व है एवं व्यवसायी के किसी भी दायित्व को कर निर्धारण के समय निर्धारित किया जाना अनिवार्य है।

10. यह उल्लेख करना उचित है कि देय विलम्ब शुल्क का भुगतान करना एक निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है न कि कोई शास्ति के रूप में दी जाने वाली राशि है। शास्ति किसी अपराध के कारित होने पर आरोपित होती है जबकि शुल्क किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिये दिया जाता है। नियम 19A में विभिन्न श्रेणियों के व्यवसायियों को विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने पर अलग-अलग शुल्क दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 21 के तहत जो विवरण पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं व्यवहारी का उस समय के प्रचलित नियमों के अनुसार कर एवं अन्य कोई राशि जो व्यवहारी को

लगातार.....4

जमा करवाना आवश्यक होता है वे जमा कराते हुए पेश किये जाते है। व्यवसायी द्वारा संग्रहित कर की राशि या कर को जमा कराने में विलम्ब होने पर उस पर देय ब्याज की राशि की गणना करना एवं उसे विवरण पत्रों में दर्शाना एवं विलम्ब शुल्क दर्शाना एवं अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उस राशि को जमा कराना भी उसकी "Liability" होती है। यह उल्लेखनीय है कि कर की राशि कम जमा होने अथवा देय ब्याज सहित जमा नहीं होने पर भी विभाग द्वारा विवरण पत्र रिकॉर्ड पर ले लिये जाते हैं एवं कर निर्धारण करने के समय व्यवसायी के समस्त दायित्वों को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह तर्क सही एवं विधि अनुकूल है कि किसी व्यवसायी के विरुद्ध शास्ति का आरोपण करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अनिवार्य है परन्तु सुनवाई का अवसर किसी अतिरिक्त करारोपण या शास्ति के लिये आवश्यक है परन्तु विधि अनुसार स्वयं द्वारा दर्शाये गये कर को कम जमा कराने या उस पर विधिक प्रावधानों के अनुसार ब्याज नहीं देने एवं विलम्ब शुल्क को जमा नहीं कराने पर उस दायित्व को कर निर्धारण में दर्शाने एवं उसकी गणना करने में सुनवाई का अवसर देने का तर्क सारहीन है क्योंकि वे समस्त राशियां स्वतः देय हैं एवं वे विवरण-पत्रों पर प्रदर्शित होती हैं एवं उनकी मात्र गणना ही कर निर्धारण आदेश में की जाती है। यदि कोई गणना गलत की गयी है तो उसमें संशोधन करने का आवेदन दिया जा सकता है। इस तरह व्यवसायी द्वारा घोषित कर एवं उस पर ऑटोमेटिक ब्याज या शुल्क में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे स्वयं व्यवसायी द्वारा दिये गये विवरणों पर आधारित है। कर निर्धारण किसी अतिरिक्त दायित्व निर्धारण करने मात्र का कार्य नहीं है बल्कि व्यवहारी द्वारा दर्शाये गये स्वयं के दायित्वों का ही एक Account आदेश में दिया जाता है। केवल उन मामलों में सुनवाई का अवसर आवश्यक है जब व्यवहारी के द्वारा घोषित विवरणों के अलावा कोई अन्यथा दायित्व सृजित किया जाये। वह राशि जो जमा कराये जाने के प्रावधानुसार दायित्वाधीन है उस राशि के जमा नहीं होने पर कर निर्धारण के दौरान निर्धारित कर आदेश में दर्शाया जाना अनिवार्य है। इस प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये है एवं इसीलिये धारा 21 में दिनांक 15.04.2011 के पश्चात निम्न प्रकार से प्रावधान किया गया है :-



लगातार.....5

21. **Filing of return.-**

(1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

11. उक्तानुसार अपीलार्थी ने दायित्व अनुसार विलम्ब शुल्क जमा नहीं करवाया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण के समय उचित रूप से भुगतान किये जाने के आदेश किये हैं। अतः विलम्ब शुल्क की मांग को यथावत रखा जाता है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

12. फलतः अपील अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)
सदस्य